

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District (ज़िला): दुर्ग

P.S.(थाना): सुपेला

Year(वर्ष): 2025

FIR No(प्र.सू.रि. 0806

Date & Time of FIR 14/07/2025 21:21 बजे
(एफआईआर की तिथि / समय):

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	420
2	पासपोर्ट अधिनियम, 1967	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन):सोमवार Date From(दिनांक से): 04/09/2023 Date To(दिनांक तक): 04/09/2023

Time Period पहर 1 Time From 00:00 बजे Time To 00:00 बजे
(समय अवधि): (समय से): (समय तक):

(b) Information received at P.S. Date 14/07/2025 Time 21:21 बजे
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): (दिनांक): (समय):

(c) General Diary Reference Entry No. 039 Time 14/07/2025 21:21:00 बजे
(रोजानामचा संदर्भ): (प्रविष्टि सं.): (समय):

4. Type of Information(सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल)

1. (a) Direction and distance from पश्चिम, 02 किमी
P.S (थाना से दूरी और दिशा):

Beat No
(बीट सं.)

(b) Address 20/5, वार्ड 03 नियर नगर निगम, आफिस मोती लाल नेहरू नगर, वेस्ट आरोपी
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant
(शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): जगतपाल सिंह ठाकुर

(b) Father's Name (पिता का स्व0 गोपाल सिंह ठाकुर

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 1960

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
--------------------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	मकान नंबर 6/सी दक्षिण, साउथ वसुंधरा नगर, भिलाई 03, पुरानी भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत
2	स्थायी पता	मकान नंबर 6/सी दक्षिण, साउथ वसुंधरा नगर, भिलाई 03, पुरानी भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9425235444

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias(उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	मनोज राजपूत		पिता:स्व जवाहर सिंह राजपूत	1. 20/5 वार्ड 3 नियर नगर निगम, आफिस, मोती लाल नेहरू नगर, भिलाई, सुपेला, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत 1. ग्राम खजरी, थाना, बेरला, बेरला, बेमेतरा, छत्तीसगढ़, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

आवेदन पेश करने पर

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Type of Property (सम्पत्ती के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	--	------------------------	------------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-)
(चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू०डी०प्रकरण न०, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
--------------------	----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

मैं भिलाई 03 में निवास करता हूँ, आरोपी मनोज राजपूत ने अपना निवास का पता बदल कर एवं अपने विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध की जानकारी छिपाकर 04-09-2023 को जारी पासपोर्ट क्रमांक Z7319050 तैयार कराया है, जिसके संबंध में लिखित आवेदन पेश किया हूँ, लिखित आवेदन के अवलोकन पर एवं पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420 भादवि एवं पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के अंतर्गत अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है। नकल आवेदन जैल है - दिनांक 14-07-2025 प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना - सुपेला, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिनकोड- 490023 विषय- अपराधिक प्रकरणों व कोर्ट में लंबित मामलों को जानबूझकर छिपाकर, शासन-प्रशासन को झूठा शपथ पत्र देकर धोखाधड़ी से पासपोर्ट (पासपोर्ट क्रमांक- Z7319050) प्राप्त करने पर अपराधिक कानून सहित पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 12 का स्पष्ट उल्लंघन करने के तहत मनोज राजपूत के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, 1. मैं जगतपाल सिंह ठाकुर, पिता स्व. गोपाल सिंह ठाकुर, निवासी म.नं. 6सी/13, साउथ वसुंधरा नगर, भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ पिनकोड 490021 हूँ। मनोज राजपूत ने पासपोर्ट प्राप्त करने के आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने आपराधिक प्रकरणों और माननीय न्यायालय जेएमएफसी, साजा, जिला- बेमेतरा द्वारा की गई दोषसिद्धि की जानकारी जानबूझकर छिपाकर, धोखाधड़ी कर स्वयं झूठा शपथपत्र देकर पासपोर्ट प्राप्त करने में सफल हो गया है। मनोज राजपूत ने अपने मूल निवास (पता- S/O जवाहर सिंह राजपूत, वार्ड-16, सूर्या नगर, सिकोला बस्ती, दुर्ग, पिनकोड-491001) जो कि उसके आधार कार्ड जिसका आधार नंबर -523500538718 में वर्णित हैं, के अंतर्गत आने वाला थाना (मोहन नगर थाना, दुर्ग) में दर्ज अपराधों को छिपाने के नियत से अपना आधार कार्ड में अपना पता बदलकर, छलपूर्वक पासपोर्ट बनाने के उद्देश्य से निवास का गलत जानकारी देकर, नये पता (पता- C/O जवाहर सिंह राजपूत, 20/05 वार्ड नंबर 03 नियर नगर निगम आफिस, मोतीलाल नेहरू नगर वेस्ट, भिलाई, थाना-सुपेला, जिला दुर्ग) अंतर्गत थाना सुपेला, दुर्ग करा लिया। मनोज राजपूत ने थाना मोहन नगर में दर्ज अपने सभी अपराधों को छुपाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से अपना निवास पता को थाना-मोहन नगर, दुर्ग से बदलकर थाना-सुपेला, भिलाई किया ताकि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता ना चले और नये पता को आधार बनाकर पासपोर्ट बनाने हेतु आवेदन किया और शासन-प्रशासन एवं पासपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष झूठा शपथ पत्र देकर सहित संबंधित शाखाओं एवं संस्था के साथ सुनियोजित ढंग से छलकारित कर, गुमराह कर दिनांक 04/09/2023 को जारी पासपोर्ट क्रमांक-Z7319050, 10 वर्ष की वैधता के साथ प्राप्त कर लिया है। 2. मनोज राजपूत अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ दुर्ग जिला के मोहन नगर थाना में FIR NO. 73/2018 भा.द.सं. धारा 186,294,353, FIR NO. 74/2018 भा.द.सं.धारा 420 व 292 (ग) मुनिसिपैलिटी एक्ट FIR NO. 08/2024 भा.द.सं. धारा 294,323,506बी, 34 के सहित कई मामले कोर्ट में लंबित है। माननीय न्यायालय JMFC, साजा,

जिला-बेमेतरा द्वारा क्रिमिनल केस नंबर 82/2011 में भा. द. स. की धारा 323 के तहत दिनांक 19.06.2015 को दोष सिद्ध किया गया। माननीय एसडीएम दुर्ग, द्वारा दिनांक 31/05/2011 को मनोज राजपूत के खिलाफ धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई थी। अपराध क्रमांक 577/2024 भा.द.सं. की धारा 420 के तहत मोहन नगर थाना, दुर्ग में दर्ज है। इसके अलावा कई मामले दुर्ग कोतवाली थाना अपराध क्रमांक 1194/2011 भा.द. सं. धारा 294, 506 ब, 186, 353 दर्ज है। इस प्रकार मनोज राजपूत के विरुद्ध दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में अब तक कुल 12 प्रकरण दर्ज हैं। साथ ही आए दिन राजस्व विभाग, दुर्ग और स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, दुर्ग ने मनोज राजपूत के द्वारा गैरकानूनी तरीके से किये जा रहे अवैध प्लॉटिंग पर भी लगातार जांच व कार्यवाही की गई है। 3. जबकि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु जारी विदेश मंत्रालय, दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10/10/2019 के अनुसार, पासपोर्ट आवेदक का अपराधिक इतिहास होने पर या कोर्ट में केस लंबित होने पर नियमतः संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया जाना आवश्यक है। हालांकि, मनोज राजपूत द्वारा संबंधित न्यायालयों से ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इसके बजाय, मनोज राजपूत ने छलपूर्वक अपना निवास पता को ही बदलकर अपने उपरोक्त आपराधिक इतिहास और लंबित न्यायालय मामलों के बारे में जानबूझकर जानकारी छुपाई है, और पासपोर्ट आवेदन पत्र व सप्लीमेंट्री फार्म के पैरा 5.1, 7.1 में यह झूठी उद्धोषणा किया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले लंबित नहीं हैं और साथ ही पैरा 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 में भी झूठा उद्धोषणा किया कि न ही कोई पूर्व दोषसिद्धि है और न्यायालय द्वारा निराकरण किया गया, जैसा कि नियमतः आवश्यक था। इस गलत व झूठा घोषणा/शपथपत्र के आधार पर मनोज राजपूत को पासपोर्ट क्रमांक-2-7319050, जिसे 10 साल की वैधता के साथ जारी कर दिया गया। इस प्रकार मनोज राजपूत के द्वारा भारत सरकार के पासपोर्ट ऑफिस द्वारा जारी आवेदन प्रारूप के शर्तों का विधिपूर्वक पालन नहीं किया गया। मनोज राजपूत द्वारा गैरकानूनी रीति से पासपोर्ट प्राप्त करना, जिसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी संभावित खतरा पैदा करती है, 4. इसलिए इस मुद्दे की गंभीरता व संवेदनशीलता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए मनोज के इस गैरकानूनी गतिविधियों व दुष्कृत्य के लिए कानूनी जबाबदेही तय करना न्यायसंगत है अतः जनहित व देशहित में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मनोज राजपूत द्वारा अपने उपरोक्त व तत्कालीन आपराधिक प्रकरणों व कोर्ट में लंबित मामलों को छिपाकर सुनियोजित तरीके से भारत सरकार शासन-प्रशासन, पासपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष स्वयं झूठा शपथपत्र देकर व संबंधित शाखाओं एवं संस्थाओं को गुमराह कर सुनियोजित तरीके से छलपूर्वक, धोखाधड़ी कर पासपोर्ट प्राप्त करने पर मनोज राजपूत के खिलाफ आपराधिक कानून के प्रावधानों के साथ पासपोर्ट अधिनियम 1967, की धारा 12 के उल्लंघन के तहत उचित ठोस कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद दिनांक 14-07-2025 स्थान -भिलाई हस्ताक्षर अस्पष्ट अंग्रेजी प्रार्थी नाम - जगतपाल सिंह ठाकुर पिता स्व. गोपाल सिंह ठाकुर पता- म. नं. 6सी/13 साउथ वसुंधरा नगर, भिलाई-03 जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, पिनकोड -490021 मो. 9425235444, 8889335444

- 13 Action** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):
(1 Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया) Or
Manish Bajpai (उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक) /
(2 Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का Rank
No(सं.): to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश
(3 Refused investigation due to (जांच